

2017/53

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण प्रार्थना पत्र संख्या- 118/2017

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 118 /2017

प्राथी	बनाम	अप्राथी
आवास फार्इनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फार्इनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्व्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020 में स्थित व कार्यरत है।		1. श्री माधा राम पुत्र श्री तेजा राम पता : 431 कडलू, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान-341001, दुसरा पता : पट्टा नम्बर 2, ग्राम पंचायत कडलू, पंचायत समिति मूण्डवा, जिला नागौर राजस्थान-341001 2. श्रीमति धानूडी पत्नी श्री माधा राम पता : 438, लम्बोडा बास, ग्राम कडलू, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान-341001 3. श्री कैलाश चंद पुत्र शंकर राम पता : 373, मालियों का बास, ग्राम कडलू, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान-341001

आदेश

दिनांक: 05-10-17

प्राथी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्राथी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्राथी बैंक ने अप्राथी/ ऋणी को रुपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 10.08.2013 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्राथीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - श्री माधा राम पुत्र श्री तेजा राम की सम्पत्ति जो पट्टा नं- 2, ग्राम पंचायत- कडलू, पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1800.00 वर्ग फुट है। चतु सीमा- पूर्व में- शिवनाथ/झुमरराम का बाडा, पश्चिम में- स्वयं की भूमि, उत्तर में- स्वयं की भूमि, दक्षिण में- रास्ता निकाल, जो प्राथी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्राथीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी यज्ञ से उक्त खाते को दिनांक 31.07.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्राथी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 3,26,987/- (अक्षरे तीन लाख छब्बीस हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) दिनांक 10.01.2017 तक शेष देय है व दिनांक 11.01.2017 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राथी बैंक ने ऋणी/अप्राथी को दिनांक 12.01.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्राथीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुद्धा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्राथी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 3,26,987/- (अक्षरे तीन लाख छब्बीस हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) दिनांक 10.01.2017 तक शेष देय है व दिनांक 11.01.2017 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्राथीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्राथी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्राथी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्राथी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री माधा राम पुत्र श्री तेजा राम की सम्पत्ति जो पट्टा नं- 2, ग्राम पंचायत- कडलू, पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन

व ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1600.00 वर्ग फुट है। चतु सीमा- पूर्व में- शिवनाथ/झुमरराम का बाडा, पश्चिम में- स्वयं की भूमि, उत्तर में- स्वयं की भूमि, दक्षिण में- रास्ता निकाल, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डीक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 3,00,000/- (अक्षरों तीन लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 10.08.2013 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति श्री माधा राम पुत्र श्री तेजा राम की सम्पत्ति जो पट्टा नं- 2, ग्राम पंचायत- कडलू, पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1600.00 वर्ग फुट है। चतु सीमा- पूर्व में- शिवनाथ/झुमरराम का बाडा, पश्चिम में- स्वयं की भूमि, उत्तर में- स्वयं की भूमि, दक्षिण में- रास्ता निकाल, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)  
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर